रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102024-258296
CG-DL-E-29102024-258296

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4328] नई दिल्ली,सोमवार, अक्तूबर 28, 2024/ कार्तिक 6, 1946
No. 4328] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 28, 2024/KARTIK 6, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2024

का.आ. 4704(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खपरवास वन्यजीव अभयारण्य, हरियाणा के आसपास एक पारिस्थितिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 68(अ), तारीख 10 जनवरी, 2017 द्वारा एक अधिसूचना जारी की थी;

और, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो वह पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकेगी;

और, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 68(अ), तारीख 10 जनवरी, 2017 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधरा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 68(अ), तारीख 10 जनवरी, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: -

"**5. मानीटरी समिति.** – केंद्रीय सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(क)	उपायुक्त, झज्जर	अध्यक्ष, पदेन;
(ख)	अपर उपायुक्त, झज्जर	सदस्य, पदेन;
(ग)	. पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि के लिए समय-समय पर हरियाणा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(घ)	क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य, पदेन;
(ङ)	जिला नगर योजनाकार, झज्जर	सदस्य, पदेन;
(च)	हरियाणा सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि के लिए समय-समय पर पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(छ)	प्रभागीय वन्यजीव अधिकारी, रोहतक	सदस्य, पदेन;
(ज)	राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य	सदस्य, पदेन;
(झ)	उप वन संरक्षक (प्रादेशिक), झज्जर	सदस्य सचिव, पदेन।

(2) मानीटरी समिति, स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जब कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची में शामिल हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आते हों, उसके पैरा 4 के अंतर्गत दी गयी सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के पास भेजे गये हैं।

(3) ऐसे क्रियाकलापों, जो उप-पैरा (2) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, इसके पैरा 4 की सारणी में निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की संवीक्षा मानीटरी

समिति द्वारा स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों के पास भेजा जाएगा।

(4) मानीटरी समिति के सदस्य सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(5) मानीटरी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर अपेक्षाओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संगमों के प्रतिनिधि या संबंधित हितधारकों को आमंत्रित कर सकेगी।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध-III में निर्दिष्ट प्रो-फार्मा में प्रस्तुत करेगी।

(7) केन्द्रीय सरकार अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए मानीटरी समिति को लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सकेगी, जैसा वह ठीक समझे।"

[फा.सं.25/34/2014-ईएसजेड-आर-ई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक "जी"

टिप्पणी:- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (ii) में, अधिसूचना संख्या का.आ. 68(अ), तारीख 10 जनवरी, 2017 के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2024

S.O. 4704(E).— WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Khaparwas Wildlife Sanctuary, Haryana in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 68(E), dated the 10th January, 2017;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 68(E), dated the 10th January, 2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 68(E), dated the 10th January, 2017, namely:-

In the said notification, for paragraph 5 the following paragraphs shall be substituted, namely: -

"5. **Monitoring Committee**. - (1) The Central Government hereby constitutes a committee for effective monitoring of the provisions of this notification consisting of the following persons, namely:-

(a)	Deputy Commissioner, Jhajjar	Chairman, *ex officio*;
(b)	Additional Deputy Commissioner, Jhajjar	Member, *ex officio*;
(c)	One representative of Non-Governmental Organisation working in the field of environment (including heritage conversation) to be nominated by the Government of Haryana for a period of three years	Member;
(d)	Regional Officer, Haryana State Pollution Control Board	Member, *ex officio*;
(e)	District Town Planner, Jhajjar	Member, *ex officio*;
(f)	One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Haryana for a period of three years.	Member;
(g)	Divisional Wildlife Officer, Rohtak	Member, *ex officio*;
(h)	Representative of State Biodiversity Board	Member, *ex officio*;
(i)	Deputy Conservator of Forests (Territorial), Jhajjar	Member Secretary, *ex officio.*

(2) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of that notification.

(3) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (2) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under

paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the regulatory authorities concerned.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department, a representative from the industry associations or concerned stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on a case to case basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden by the 30th June of that year in pro-forma specified in **Annexure-III**.

(7) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions".

[F. No. 25/34/2014-ESZ-RE]
Dr. S. KERKETTA,Scientist "G"

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 68(E), dated the 10th January, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.10.29 11:48:00 +05'30'